प्रकरण संख्या 25/2017 भैरूसिंह व अन्य बनाम श्रीमती केशीबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.09.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कविता में प्रार्थना पत्र की कमल संख्या 1 की परिशिष्ट ''क'' वर्णित कुल किता 13 रकबा 1.4400 हैक्टर, जिसके साबिक आराजी नंबर 912 मी., 919 मी., 818 मी., 100 मी., 300, 301 मी., 314 मी., 1109 मी., 1100 हैं। परिशिष्ट ''ख'' वर्णित कुल किता 2 रकबा 0.2300 हैक्टर, जिसके साबिक आराजी नंबर 763 मी., 762 मी., 763 हैं। परिशिष्ट ''ग'' वर्णित कुल किता 26 रकबा 2.6900 हैक्टर, जिसके साबिक आराजी नंबर 866, 860, 861, 856 मी., 855 मी., 857 मी., 754, 764, 157 मी., 159 मी., 240 मी., 1337 मी. 1346 मी., 1352 मी., 1334 मी., 1365 मी., 1110, 1103, 858/2, 859/2 हैं। परिशिष्ट ''घ'' वर्णित कुल किता 30 रकबा 2.9050 हैक्टर, जिसके साबिक आराजी नंबर 913 मी. 808 मी., 820 मी, 753/1, 751 मी., 773, 161 मी. 1042 मी. हैं। प्रार्थीगण का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष भगा उर्फ भग्गासिंह थे। प्रार्थीया संख्या 1 व 2 भग्गा जी की पुत्री है तथा प्रार्थी संख्या 3 से 8 की माता मृतक नारायणीबाई भी भग्गा जी की पुत्री थी। वाद पत्र की कलम संख्या 1 की परिशिष्ट 'क', 'ख', 'घ' में प्रार्थीगण 1 व 2 प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 3 से 8 का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा है एवं परिशिष्ट 'ग' में वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा होकर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु प्रार्थीगण के नाना भग्गा जी के मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 के पिता एवं 2 व 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपना नाम अंकित करवा लिया एवं उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर परिशिष्ट 'घ' की आराजी नंबर 2411 के अलावा सम्पूर्ण आराजियात के 1/6 हिस्से में से विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 25 को 1/12 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 26 व 27 को 1/12 हिस्से का नुमाईशी विक्रय दिनांक 20.03.2008 को कर दिया है तथा इसी परिशिष्ट की आराजी नंबर 2411 मी. व आराजी नंबर 2420 में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 28 से विक्रय कर दिया है तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 28 ने नुमाईशी विक्रय प्रतिवादी संख्या 6 को दिनांक 20.04.2010 को कर दिया है तथा परिशिष्ट 'ग' में अंकित आराजी नंबर 2219 मी. रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 ने विपक्षी संख्या 5 को नुमाईशी विक्रय दिनांक 06.02.2008 को कर दिया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। इसी प्रकार अन्य आराजियात के भी नुमाईशी विक्रय एवं नुमाईशी तौर पर किया गया है, प्रार्थीगण के मुकाबले शून्य हैं। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:30 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 16.06.2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिरये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.08.2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की बिना तामिल कराये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, ऐसी स्थिति में जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय ने निरस्त नहीं करा दिया जाता तब तक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद राजस्व न्यायालय में नहीं चल सकता। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थित हैं कि अपीलान्टगण रजिस्टर्ड क्रेता होकर रेकार्डेड खातेदार हैं। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.05.2017 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.06.2017 नियत की गयी, किन्तु उसके पूर्व ही प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 16.06.2017 को रेकार्डेड खातेदार को बिना सुने उनके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 160/2013 में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.09.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:57:30 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर